

15/04/25 पत्रावली पेश हुई। जार्जी एवं जार्जी
के अधिवक्ता को बार-बार आवाज
डिक्कली गयी। जो हाजिर नहीं है। अतः
अदम हाजरी व अदम पैरवी में जार्जीना-
पत्र कार्रज बिधा जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम है। बाद जाफा
कार्रवाही दखिल दफ्तार हो।

(दममन्नी कंवर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

